प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक 23.08.2026**

- **थाना रनियां पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्ता के कब्जे से कुल 770 पुडिया कुल 02.635 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ (गांजा) किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 23.08.2026 को थाना रनियां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बा रनियां में 01 महिला द्वारा अपने घर में अवैध रुप से गांजा की बिक्री की जा रही है। थाना रनियां पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्ता ललिता भदौरिया पत्नी बाबू सिंह भदौरिया निवासी वार्ड नं0 14 बजरंग नगर, चिटिकपुर कस्बा व थाना रनियां जनपद कानपुर देहात को 770 पुडिया कुल 02.635 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा के साथ दिनांक 23.08.2026 को उसके घर के बाहर गली से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना रनियां पर मु0अ0सं0 164/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम ललिता भदौरिया उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्ताशुदा अभियुक्ता ललिता भदौरिया उपरोक्त का मेडिकोलीगल परीक्षण कराते हुये नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. ललिता भदौरिया पत्नी बाबू सिंह भदौरिया उम्र 46 बर्ष निवासी वार्ड नं0 14 बजरंग नगर चिटिकपुर कस्वा व थाना रनियां कानपुर देहात ।

बरामदगी-

1. 770 पुडिया कुल 2.635 कि0ग्रा0 नाजायज मादक पदार्थ (गांजा)।

गिरफ्तारी करने वाली थाना रनियां पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार गौतम
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 श्री राजबहादुर सिंह
4. का0 201 नरेन्द्र राणा
5. म0का0 812 सुमन
6. म0का0 1338 पूनम